न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 20/2025
दायर दिनांक : 03/06/2025
निर्णय दिनांक : 03/12/2025

उनवान

1 कालूराम पिता घीसू गाडरी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री अभय चपलोत, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या 54 में कुल खसरा 31 कुल क्षेत्रफल 9.22 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 7/72 खाता संख्या 231 में कुल खसरा 07 कुल क्षेत्रफल 2.22 है0 में से प्रार्थी का हिस्सा 1/12 खाता संख्या 232 हाल आ0स0 881 कुल किता 01 कुल रकबा 0.62 है0 में से प्रार्थी का 1/12 हक हिस्सा खाता संख्या 1116 हाल आ0स0 775 रकबा 0.94 है0 आ0स0 776 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.96 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/12 हक हिस्सा निहित है जिसमें प्रार्थी का नाम संयुक्त खाते में कालूलाल पुत्र घीसूलाल गाडरी के नाम से दर्ज हैं। कालूराम का नाम बोलचाल में कालुलाल भी बाल्यावस्था से कहते आए हैं इसलिए कालूलाल का ही नाम कालुराम है जाति गाडरी है जबकि इंतकाल खोलते समय कालुलाल दर्ज कर दिया और अन्य दस्तावेजों में कालूराम अंकित हैं इसी अनुसार उपरोक्त खाते में प्रार्थी का नाम दुरूस्त करा सही नाम कालुलाल पिता घीसूलाल के बजाय कालुराम दर्ज कराना चाहता हैजिससे वर्तमान जमाबंदी में कालुलाल नाम अंकित होने से परेशानियों का सामना करना पड रहा है इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में कालुराम गाडरी अंकित कराया जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये।बाद सम्मन तामील अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने दिनांक 03.12.25 को नाम परिवर्तन किए जाने में कोई आपत्ति नही होना दर्ज कराया एवं राजहित को प्रभावित नही होना बताया जाने पर नाम परिवर्तन किए जाना उचित बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.15 18:13:57 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली [illegible] उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य

पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कांकरवा के खाता सं. 54 में कुल खसरा 31 कुल क्षेत्रफल 9.22 है., खाता सं. 231 कुल खसरा सं. 7 रकबा 2.22 है., खाता सं. 232 हाल आ.सं. 881 रकबा 0.62 है., खाता संख्या 1116 हाल आ.सं. 775 रकबा 0.94 है. , आ.सं. 776 रकबा 0.02 है. किता 2 रकबा 0.96 है. भूमि में प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकार्ड में कालूलाल के बजाय कालूराम गाडरी खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय से आराजियात का हक हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.15 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested